बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

आदेश

सं0–03/आ०1–122/2022 ...../ श्री जगतपति चौधरी, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोसी प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध जिलाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक–539 दिनांक 26.09.2022 द्वारा प्रतिवेदन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया गया।

2 सक्षम प्राधिकार के आदेश से श्री जगतपति चौधरी को विभागीय संकल्प सं0–696 दिनांक 25.11.2022 द्वारा निलंबित किया गया तथा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई। सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से श्री जगतपति चौधरी के विरुद्ध आरोप पत्र एवं पुरक आरोप पत्र गठित कर प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में इनसे विभागीय ज्ञापांक संख्या–707 दिनांक 29.11.2022 द्वारा बचाव अभिकथन की मांग की गयी।

3. विभागीय संकल्प संख्या–16 दिनांक 10.01.2023 द्वारा श्री चौधरी के दिनांक 30.11.2022 को वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति के फलस्वरुप सेवानिवृति तिथि 30.11.2022 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

4. श्री चौधरी के विरूद्ध संकल्प संख्या–415, दिनांक 05.08.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी.) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा कतिपय आरोप को प्रमाणित/आंशिक प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

5. उक्त आंशिक प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक–314681 दिनांक 31.10.2025 द्वारा श्री चौधरी से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी, जो विचारण तक अप्राप्त रहा जिससे यह विनिश्चत हुआ कि इन्हें उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

6. विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए एवं सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प संख्या–367516 दिनांक 19.02.2026 द्वारा श्री जगतपति चौधरी, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोसी प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत्त को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (बी.) के अंतर्गत "पेंशन से 01 वर्ष के लिए 05 प्रतिशत की राशि की कटौती" की शास्ति अधिरोपित करते हुए मामले को समाप्त किया गया।

7. श्री चौधरी द्वारा शास्ति अधिरोपण के 162 दिनों के बाद **पुनरीक्षण आवेदन** दायर कर उक्त अधिरोपित शास्ति को क्षांत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसमें इनके द्वारा उन्हीं बातों का

दोहराव किया है जो जाँच/संचालन के दौरान कही गयी है और जिसपर भली–भांति समीक्षा कर संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर भी विधिवत समीक्षा कर श्री चौधरी को शास्ति विनिश्चित की गयी है।

8. इस प्रकार श्री जगतपति चौधरी, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोसी प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (बी.) के अंतर्गत "पेंशन से 01 वर्ष के लिए 05 प्रतिशत की राशि की कटौती" की शास्ति में किसी प्रकार के परिवर्तन का कोई आधार परिलक्षित नहीं होता है। अतएव जगतपति चौधरी द्वारा दायर **पुनरीक्षण आवेदन** को **अस्वीकृत करने** का निर्णय लिया गया है।

9. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/
(विजय कुमार पाण्डेय)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–03/आ०1–122/2022 I/525547/पटना, दिनांक– 26/10/2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/प्रभारी पदाधिकारी (वै0दा0नि0को0), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा /क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोसी प्रमंडल, सहरसा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा/श्री जगतपति चौधरी, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोसी प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत्त पता– ग्रा0– महिषी, पो0–महिषी, थाना–महिषी, जिला–सहरसा, बिहार, पिनं–852216 /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Digitally signed by
VIJAY KUMAR PANDEY
Date: 26-10-2026 14:40:03

निदेशक (प्रशासन)